दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 16 अप्रैल 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 195

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली में लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू, आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 तक रहेंगी पाबंदियां

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में जारी कोरोना महामारी के कोहराम के बीच स्थिति को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केजरीवाल गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में शहर के कोविड-19 हालात पर हुई चर्चा के बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजार में ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों में निर्मित कोरोना टीकों के लिए नियामकीय उपाय जारी किये

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र सरकार ने 13 अप्रैल, 2021 को एक क्रांतिकारी सुधार कदम के रूप में यूएस एफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीएमडीए जापान द्वारा सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित या जो डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग (ईयूएल) में सूचीबद्ध हैं, कोविड-19 टीकों के लिए नियामकीय प्रणाली को उल्लेखनीय रूप से सुव्यवस्थित बनाने तथा फास्ट ट्रैकिंग को अनुमोदित किया था। यह निर्णय भारत द्वारा ऐसे विदेशी टीकों की त्वरित सुविधा को सुगम बनाएगा तथा बल्क दवा सामग्री सहित आयात, डोमेस्टिक फिल और फिनिश कैपेसिटी आदि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, जो इसके बदले टीका विनिर्माण क्षमता तथा देश के भीतर टीका उपलब्धता को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने आज यूएस एफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीएमडीए जापान द्वारा सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित या जो डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग (ईयूएल) में सूचीबद्ध हैं, कोविड-19 टीकों के लिए भारत में नियामकीय उपाय जारी किया है।

आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां खाक

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली के पश्चिम पुरी में बुधवार रात शहीद भगत सिंह कैंप में झुग्गियों में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर एसके दुआ ने बताया, बुधवार रात 9:55 बजे एक कॉल आई और 26 दमकल गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया. आग पर अब काबू पा लिया गया है. किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. बुधवार को ही दिल्ली में आईटीओ पर केंद्रीय राजस्व भवन के चौथे तल पर आग लग गई. अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई और किसी की हताहत होने की खबर नहीं है. उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग को शाम छह बजकर पांच मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी.

कोरोना वायरस की दहशत में आया भारत, लॉकडाउन की बनी आशंका, 24 घंटे में दो लाख के पार मिले संक्रमित

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देशभर के हालात भयावह हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या में जारी वृद्धि डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। एक दिन में मिलने वाले संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा गुरुवार को सर्वाधिक रिकॉर्ड दो लाख के पार पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में दो लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 1038 मरीजों की जान चली गई है। हालत बिगड़ती देख देश में लॉकडाउन लगने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 2,00,739 नए कोरोना मरीज मिले, इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,40,74,564 पहुंच गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 1,038 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,73,123 हो गई। पिछले छह महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले, पिछले साल 17 अक्तूबर को सबसे ज्यादा 1,032 लोगों की मौत हुई थी। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को 1.85 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले थे और 1027 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है।

पौने पंद्रह लाख के नजदीक पंहुंचे सक्रिय मामले- स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में सक्रिय मामलों का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में 93,528 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, इसी के साथ देश में अब तक 1,24,29,564 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधे से भी कम है। फिलहाल, देश में सक्रिय मामले बढ़कर 14,71,877 पहुंच गए हैं।

टीकाकरण: 11.44 करोड़ से ज्यादा को लगी वैक्सीन- देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव अभियान चलाया था। देश में अब तक 11,44,93,238 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

26.20 करोड़ की हुई कोरोना जांच- देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना जांच में भी तेजी लाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में अब तक 26,20,03,415 नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इनमें से 13,84,549 नमूनों की जांच गुरुवार को की गई है।

दिल्ली में यूके स्ट्रेन का बढ़ा प्रभाव- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि भारत के करीब दस राज्यों में डबल म्यूटेंट वाले कोरोना वायरस का असर देखने को मिला है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहां ब्रिटेन वाले स्ट्रेन मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां डबल म्यूटेंट वाले वायरस पाए गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि ये कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि में भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि मामलों में वृद्धि के लिए डबल म्यूटेंट 100 प्रतिशत जिम्मेदार हैं। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली का वायरस के यूके वाले स्ट्रेन का मिश्रण है। पंजाब में कोरोना के 80 प्रतिशत मरीजों में में ब्रिटिश स्ट्रेन पाया गया। महाराष्ट्र में लगभग 60 प्रतिशत मामलों में डबल म्यूटेशन पाया गया है। हालांकि मुंबई में ऐसे केस सामने नहीं आए हैं।

वायुसेना के कमांडरों का तीन दिवसीय सम्मेलन शुरू

» देश के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन बृहस्पतिवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) सहित भारत के समक्ष विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों की समग्र समीक्षा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में कमांडरों के छमाही सम्मेलन का उद्घाटन किया।सूत्रों ने बताया कि सिंह ने इस अवसर पर युद्ध जैसी स्थितियों के लिए हर समय तैयार रहने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने जैसे दृढ़ इरादों के लिए वायुसेना की प्रशंसा की। कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थिति सहित भारत के समक्ष उत्पन्न सभी सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की। सम्मेलन में कमांडर देश के समक्ष भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और बढ़ाने संबंधी रणनीतियों तथा नीतियों पर भी चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की सभी कमानों के प्रमुख, सभी प्रधान स्टाफ अधिकारी और दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक भाग ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज के आवास पर तैनात पूरा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब खतरनाक रूप ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) के जस्टिस एम आर शाह के आवास के स्टाफ के सभी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। न्यायाधीश ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।

न्यायमूर्ति शाह, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल थे। उन्होंने वकीलों को बताया कि उनके आधिकारिक आवास पर सभी कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद पीठ ने कामकाज रोक दिया। दोपहर दो बजे पीठ दोबारा बैठेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने ने कहा कि अदालत को इस परिस्थिति में समय लेना चाहिये। बीते कुछ दिन में उच्चतम न्यायालय के 40 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर अदालत परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सभी जजों, कर्मचारियों, वकीलों, वकीलों के स्टाफ को कोविड टेस्ट कराकर ही दाखिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर में कहा कि जिन लोगों को बुखार, बदन दर्द और गंध की कमी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कोर्ट नहीं आना चाहिए और खुद को घर में आइसोलेट कर लेना चाहिए। अगर किसी स्टाफ या वकील को कोई लक्षण दिखता है, तो उन्हें आरटीपीसीआर या एंटीजेनट टेस्ट कराना चाहिए। बता दें कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर और जिस रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं, देखते हुए कोर्ट ने नया गाइडलाइन जारी किया है। पिछले शनिवार को 99 में से 44 कोर्ट के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें कुछ जज भी शामिल थे। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई हो रही है।

सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना करने की दी मंजूरी

» कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर दवा की किल्लत हो गई है। संकट बढ़ता देख कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने गुरुवार को रेमडेसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब सरकार ने देश में इसका उत्पादन दोगुना करने को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने देश में रेमडेसिविर की कमी को देखते हुए सोमवार और मंगलवार को लगातार दो दिन के दवा उत्पादकों के साथ बैठक की है। अभी देश में सात कंपनियां हर महीने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कुल 38.8 लाख वायल (शीशी) का उत्पादन करती हैं, जिनमें से चार लाख वायल का निर्यात किया जाता था। केंद्र सरकार ने रविवार को रेमडेसिविर के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। इससे देश में हर महीने अतिरिक्त चार लाख वायल की उपलब्धता बढ़ गई है। इसके अलावा रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक करने के बाद कंपनियों को 10 लाख वायल हर महीने बनाने के लिए तत्काल मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री मंडाविया के अनुसार इसके अलावा 30 लाख वायल प्रति महीने के अतिरिक्त उत्पादन का प्रबंध किया जा रहा है। इससे देश में रेमडेसिविर का उत्पादन 78 लाख वायल प्रति महीने हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने रेमडेसिविर उत्पादकों से खुले बाजार में इसकी सप्लाई करने के बजाय अस्पतालों को प्राथमिकता देने को कहा है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कोरोना मरीजों के लिए किया जा सकता है, जो अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हों। सरकार ने भी राज्यों को रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी, जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूली की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मंडाविया ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादकों से एक हफ्ते के भीतर दवा की कीमत भी कम करने आग्रह किया गया है। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, सन फार्मा, सिप्ला और जायडस कैडिला जैसी कंपनियों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कीमत करने का भरोसा दिलाया है।

इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करते हुए वैक्सीन के आयात के नियम में बड़े बदलाव किए हैं। अब किसी भी विदेशी वैक्सीन की ओर से आवेदन मिलने पर सिर्फ 3 दिन के भीतर मंजूरी दी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में नियामकों की मंजूरी प्राप्त कोरोना वायरस के सभी टीकों को त्वरित मंजूरी देने के फैसला किया था।

तिहाड़ से इमरजेंसी पैरोल पर छोड़े गए 3 हजार से अधिक कैदी लापता

नईदिल्ली (आरएनएस)। तिहाड़ जेल में पिछले साल कोविड -19 महामारी के मद्देनजर इमरजेंसी पैरोल पर रिहा हुए 6,740 कैदियों में से 3,468 कैदी लापता हो गए हैं. अब जेल अधिकारियों ने उन्हें ट्रेस करने में मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है. इन कैदियों में से ज्यादातर कैदी एचआईबी, कैंसर, किडनी की शिथिलता, डायलिसिस, हेपेटाइटिस बी या सी, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं.

दरअसल तिहाड़ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है. यहां एक साथ 10 हजार से ज्यादा कैदियों को रखा जा सकता है. सूत्रों की माने तो रिहा किए गए लोगों में से 1,184 सजायाफ्ता कैदियों को तिहाड़, मंडोली, रोहिण, दिल्ली के इन तीन जेलों से बाहर जाने दिया गया था. सबसे पहले उन्हें इलाज के लिए 8 हफ्तों के लिए बाहर भेजा गया था. हालांकि इस अवधि को बार बार आगे बढ़ा दिया गया.

अंततः इन कैदियों को 7 फरवरी और 6 मार्च के बीच आत्मसमर्पण करना था. लेकिन अब इन 1,184 कैदियों में से 112 कैदी लापता हो चुके हैं. जब जेल अधिकारियों ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि वे अपने घरों पर मौजूद नहीं थे.

मई तक भारत आएगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन

» डीसीजीआई ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान से भी कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं रुक रहा है। ऐसे में देश के टीकाकरण अभियान में रूसी टीका स्पुतनिक वी को जल्द शामिल करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने रूसी टीके स्पुतनिक वी को मई के आखिरी तक आयात करने का आदेश दिया है। बता दें कि भारत से पहले अर्जेंटीना, मैक्सिको समेत 59 देशों ने रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन को उपयोग करने की मंजूरी दी है।

दरअसल, देश में वैक्सीन की कमी की खबर के बीच सरकार ने टीका उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया हैं। रूस में तैयार की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन को मई के आखिरी तक भारत आने की उम्मीद है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कोरोना पर काबू पाने के लिए अक्टूबर तक देश में पांच और टीके उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल भारत में दो टीके कोविशील्ड और कोवैक्सिन का उत्पादन हो रहा है। भारत में यह तीसरा टीका है जिसे कोविड-19 के खिलाफ भारत में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। भारत की दवा नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है।रत की दवा नियामक संस्था डीसीजीआई किसी भी दवा को इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने से पहले उसकी सुरक्षा और असर को लेकर परीक्षण करता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन को भी डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद इस्तेमाल की इजाजत मिली थी। डॉ रेड्डीज लैब्स के साथ स्पुतनिक वी साझेदारी हुई है। स्थानीय उत्पादन, जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में की जाएगी।देश में स्पुतनिक वी की मंजूरी मिलने के अलावा पांच और टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

पेशेवर शिक्षा तक पहुंच बनाना सरकार का दायित्वः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्तर पर शिक्षा तक पहुंच बनाना राज्य सरकार का दायित्व है। उच्च (पेशेवर) शिक्षा पाना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन इस तक पहुंच बनाना सरकारी 'अहसान' भी नहीं है। सरकार का यह दायित्व उन छात्रों के लिए कहीं ज्यादा महत्व रखता है, जिनकी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और भौगोलिक क्षेत्र के कारण बाधित होती है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने लद्दाख के छात्रों फरजाना बतूल

और मोहम्मद मेहदी वजीरी की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों छात्रों ने केंद्रीय पूल में चुने जाने के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिल सुनिश्चित करने की गुहार लगाई थी। पीठ ने दोनों छात्रों को दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा, उच्च शिक्षा हासिल करने का अधिकार संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच सरकार की उदारता नहीं है। हर स्तर तक शिक्षा तक पहुंच मुहैया करना सरकार का दायित्व है।

क्या है मामला

नवंबर, 2000 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय पूल से लद्दाख के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एक-एक सीट आवंटित की थी। इस नीति के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं को नामित किया था। बावजूद इसके इन दोनों को प्रवेश नहीं दिया गया था। जिसके बाद दोनों छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दाखिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

छात्रों की ओर से पेश दलीलों से संतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को संबंधित कॉलेजों में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दाखिले की औपचारिकताओं को एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। शीर्ष अदालत ने एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी सुझाव दिया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय पूल सीटों के तहत नामांकित छात्रों को दाखिला मिले।